संख्या-51/2023/001-834/60-1-2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 02 दिसम्बर, 2023**

विषय :- जनपद-मुरादाबाद में निर्माणाधीन राजकीय महिला शरणालय के अग्रेतर भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-905/निदे0म0क0/अनुदान/रा0म0श0भ0नि0/2023-24, दिनांक 09.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-719/60-1-16-1/13(61)/15, दिनांक 22.04.2016 द्वारा राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद के नवीन भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) तथा शासनादेश संख्या-2765/60-1-17-1/13(61)/15, दिनांक 02.11.2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राजकीय महिला शरणालय, मुरादाबाद के भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा स्वीकृत प्रयोजना लागत रू0-673.23 लाख (रूपये छः करोड़ तिहत्तर लाख तेईस हजार मात्र) के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0-223.23 लाख (रूपये दो करोड तेईस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 673.23 लाख के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा ।

(16) किसी भी स्थिति में प्रस्तावित योजना पर Time Over Run व Cost Over Run अनुमन्य नहीं होगा। निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। निदेशालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्माण एजेंसी उक्त परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना हेतु उक्त धनराशि का उपयोग न कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय तथा प्रशासनिक नियमों का अनुपालन प्रकरण में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,23,23,000 (रुपये दो करोड़ तेईस लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 4235021030500 राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-105-X-2023-24, दिनांक- 29 अगस्त, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-51/2023/001-834/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, मुरादाबाद ।
7- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं सहकारी संघ निर्माण लिमिटेड (पैकफेड), लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in